



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**

(A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009)

Web Site-www ggu. Ac. In,ph. No. 260021, Fax No. 07752-260148,154

कमांक 476 / अका. / डीन / 2015

बिलासपुर, दिनांक 07-12-2015

### आदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 कमांक 25 की धारा 13 के अंतर्गत, परिनियम कमांक 05 (1) के प्रावधानानुसार प्रो पीकेबाजपेयी, आचार्य, (भौतिकी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को कुलपति जी द्वारा स्कूल ऑफ स्टडीज "भौतिकीय विज्ञान" का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति दिनांक 07-12-2015 से 06-12-2018 तक अर्थात् 03 वर्ष के कार्यकाल के लिये होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ0कं0 477 / अका. / डीन / 2015

बिलासपुर, दिनांक 07-12-2015

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति / कुलसचिव के निज सचिव / निज सहायक को मान. कुलपति / कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. प्रो पीकेबाजपेयी, आचार्य, (भौतिकी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रो गौतम कुमार पात्रा, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग की ओर प्रभार परिवर्तन के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त अधिष्ठाता / समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त विभाग प्रमुख / समस्त कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव (कार्यवाहक)